न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 : 06/2022

उनवान :

1. धर्मपाल पुत्र श्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
:— वादीया

बनाम

1. सुणाराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2. प्रेमसुख पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
3. सन्तलाल पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
4. गुड्डी पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
5. सुमित्रा पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री सरजीत बिजारणियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 26.04.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं 145/142 के खसरा नं0 103 की 7.1840 हैक्टर, खसरा नं0 186 की 3.7050 हैक्टर, खसरा नं0 207 की 0.657है0, खसरा सं0 240 की 4.022है0, खसरा सं0 242 की 11.432 है0, कुल खसरा 5 की 27.000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुणाराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा कुंजी के ही खाता सं0 117/110 के खसरा सं0 90 की 3.390है0 खसरा सं0 94 की 7.132है0 कुल खसरा 2 की 10.552है0 में प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 प्रेम पुत्र सुणा का 1189/5261 हिस्सा अर्थात 2.378है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की मुश्तर्का जददी जायदाद है जिसे पक्षकारान दावा संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादभूमि में प्रतिवादी के साथ वादी, प्रतिवादी सं0 1 ता 5 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है एवं वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 5 का जन्म से हक व हिस्सा है। वाद भूमि के बाबत वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का पारिवारीक समझौता हो गया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 व 4 तथा 5 ने अपना हक

Scanned with CamScanner

हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में श्याम कर दिया है तथा कुल वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बराबर–बराबर प्राप्त हो गयी है परन्तु रिकार्ड में सुणाराम के नाम दर्ज चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया एवं पत्रावली में साक्ष्य करवाय गयें।

साक्ष्य वादी में धर्मपाल पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी कुंजी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कुंजी के खाता संख्या 145/142 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कुंजी के खाता संख्या 117/110 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही कुंजी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग खाता संख्या 28/29 प्रदर्श 3 व जमाबंदी संवत 2013–16 प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कुंजी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि रोही मौजा कुंजी के खाता सं 145/142 के खसरा नं0 103 की 7.1840 हैक्टर, खसरा नं0 186 की 3.7050 हैक्टर, खसरा नं0 207 की 0.657है0, खसरा सं0 240 की 4.022है0, खसरा सं0 242 की 11.432 है0, कुल खसरा 5 की 27.000 है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुणाराम के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात 9.000है0 वाद भूमि में प्रतिवादी सुणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी धर्मपाल व प्रतिवादी सं0 3 सन्तलाल को 7.585है0 बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम को 1.415है0 भूमि का खातेदार घोषित किये जावें तथा रोही मौजा कुंजी के ही खाता सं0 117/110 के खसरा सं0 90 की 3.390है0 खसरा सं0 94 की 7.132है0 कुल खसरा 2 की 10.552है0 में प्रतिवादी सं0 2 प्रेम पुत्र सुणा का 1189/5261 हिस्सा अर्थात 2.378है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम के नाम यथावत रखा जावें । इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष व राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष व राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं 145/142 के खसरा नं0 103 की 7.1840 हैक्टर, खसरा नं0 186 की 3.7050 हैक्टर, खसरा नं0 207 की 0.657है0, खसरा सं0 240 की 4.022है0, खसरा सं0 242 की 11.432 है0, कुल खसरा 5 की 27.000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुणाराम के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात 9.000है0 वाद भूमि में प्रतिवादी सुणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी धर्मपाल व प्रतिवादी सं0 3 सन्तलाल को 7.585है0 बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम को 1.415है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा कुंजी के ही खाता सं0 117/110 के खसरा सं0 90 की 3.390है0 खसरा सं0 94 की 7.132है0 कुल खसरा 2 की 10.552है0 में प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 प्रेम पुत्र सुणा का 1189/5261 हिस्सा अर्थात 2.378है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम के नाम यथावत रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 06/2022

अनवान :

1. धर्मपाल पुत्र श्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
:– वादी

बनाम

1. सुणाराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2. प्रेमसुख पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
3. सन्तलाल पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
4. गुड्डी पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
5. सुमित्रा पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा :– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं 145/142 के खसरा नं0 103 की 7.1840 हैक्टर, खसरा नं0 186 की 3.7050 हैक्टर, खसरा नं0 207 की 0.657है0, खसरा सं0 240 की 4.022है0, खसरा सं0 242 की 11.432 है0, कुल खसरा 5 की 27.000 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुणाराम के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात 9.000है0 वाद भूमि में प्रतिवादी सुणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी धर्मपाल व प्रतिवादी सं0 3 सन्तलाल को 7.585है0 बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम को 1.415है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा कुंजी के ही खाता सं0 117/110 के खसरा सं0 90 की 3.390है0 खसरा सं0 94 की 7.132है0 कुल खसरा 2 की 10.552है0 में प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 प्रेम पुत्र सुणा का 1189/5261 हिस्सा अर्थात 2.378है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को प्रतिवादी सं0 2 प्रेमसुख उर्फ प्रेम के नाम यथावत रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.04.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner